निर्वाचन तत्काल

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन भोपाल.

क्रमांक / मण्डी निर्वा. / बी–6 / 2 / 19 / 150 / 875 भोपाल,दिनांक 28 / 06 / 2019

प्रति,

कलेक्टर
जिला .... म0प्र0 (समस्त)।

विषय :– म0प्र0 की कृषि उपज मंडी समितियों के परिसीमन के संबंध में।

––00––

विषयांतर्गत अनुरोध है कि म0प्र0 की कृषि उपज मंडी समितियों का निकट भविष्य में सामान्य निर्वाचन होना है। विगत कई वर्षो से परिसीमन नही होने से म0प्र0 शासन द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों के परिसीमन के संबंध में निर्णय लिया गया है। कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 70 में मंडी क्षेत्रों के सीमाओं में परिवर्तन करने एवं उन्हें समामेलित करने या उनको विपाटित करने का प्रावधान निम्नानुसार है :–

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा :–

(एक) मंडी – क्षेत्र में, उनके समीपवर्ती किसी अन्य क्षेत्र को सम्मिलित करके या उसमें से किसी ऐसे क्षेत्र को, जो उसमें समाविष्ट हो, अपवर्जित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के ; या

(दो) दो या अधिक मण्डी –क्षेत्रों को समामेलित करने के तथा उनके लिए एक मंडी समिति गठित करने के ; या

(तीन) किसी मंडी –क्षेत्र को विघटित करने के तथा उसके लिए दो या अधिक मण्डी समितियॉ गठित करने के ; या

(चार) किसी मण्डी को बन्द करने के अपने आशय को संज्ञापित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना में यथास्थिति उस क्षेत्र की, जिसे कि किसी मंडी –क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना या जिसे किसी मंडी – क्षेत्र में से अपवर्जित किया जाना आशयित हो, या उन मंडी – क्षेत्रों की , जिनको कि समामेलित करके एक मंडी – क्षेत्र बनाया जाना आशयित हो, या किसी विद्यमान मंडी क्षेत्र को विपाटित करने के पश्चात् गठित की जाने के लिए आशयित मंडियों में से प्रत्येक मंडी क्षेत्र की या उस मंडी के, जिसका कि बन्द किया जाना आशयित हो, क्षेत्र की सीमाऍ परिनिश्चित की जाएगी जिसके कि भीतर आपत्तियॉ, यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की जाएगी।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में 30 दिवस के अन्दर प्रस्ताव आंमत्रित कर तदानुसार प्रेषित करने का कष्ट करे।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

J.D LETTER

निर्वाचन तत्काल

क्रमांक / मण्डी निर्वा. / बी–6 / 2 / 19 / 150 / 876 भोपाल,दिनांक 28/ 06 / 2019

प्रतिलिपिः–   सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. आयुक्त राजस्व संभाग .... म0प्र0 (समस्त)।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
3. अपर संचालक, (प्रांगण / नवीन मंडी) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
4. संयुक्त / उप संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय .... (समस्त)।
5. भारसाधक अधिकारी / सचिव कृषि उपज मंडी समिति .... म0प्र0 (समस्त)।

28/6

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल